

प्रेस नोट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर दिनांक 23.11.2024

गैर इरादतन हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष पिपराइच के नेतृत्व में उ0नि0 राज कुमार मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 928/2024 धारा 103(1) बी0एन0एस0 तरमीम धारा 105 बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त आनन्द चौरसिया पुत्र चन्द्रशेखर चौरसिया निवासी ग्राम तुलसीदेई थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 16.11.2024 को अभियुक्त द्वारा ट्रैक्टर व मशीन से धान का डंठल काटते समय वादी मुकदमा के भतीजे को ट्रैक्टर से रौंदकर मशीन से काट देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आनन्द चौरसिया पुत्र चन्द्रशेखर चौरसिया निवासी ग्राम तुलसीदेई थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 928/24 धारा 103(1) बी0एन0एस0 तरमीम धारा 105 बीएनएस थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार की टीम –

1. उ0नि0 राज कुमार थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर।
2. हे0कां0 शाहिद खाँ थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर।
3. कां0 अंगद कुमार थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर।